



निदेशक का कार्यालय
असम व नागालैण्ड एवं त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम
भू-स्थानिक निदेशालय
निधि भवन, द्वितीय तल, लालमाटी
गुवाहाटी - 781029
दूरभाष सं० : 0361-2302771
फैक्स सं० : - 0361-2302725
ई-मेल : assam.gdc soi@gov.in

भारतीय सर्वेक्षण विभाग
SURVEY OF INDIA



OFFICE OF THE DIRECTOR
A & N and TMMz GD,
NidhiBhawan, 2ndFloor, Lalmati
Guwahati – 781029(Assam)
Phone No. 0361- 2302771
Fax No. 0361- 2302725
E-mail: assam.gdc soi@gov.in

पत्र संख्या - 124 /37-जी-9

दिनांक 02 फरवरी 2026

नेमी आदेश सं. 02 /37-जी-9 (प्रशा.) दिनांक 02 फरवरी 2026

Routine Order No.02/ 37-G-9 dated 02 February 2026

नकदी संभालने एवं निधि भत्ता (Cash Handling and Treasury Allowance)

भारत सरकार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र संख्या 14/3178-एस एम पी - I दिनांक 28.03.1978 और भारत सरकार, कर्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय (कर्मिक और प्रशिक्षण विभाग), नई दिल्ली के कार्यालय ज्ञापन संख्या 4/6/2008- स्थापना (वेतन-II) दिनांक 01.10.2008 एवं कार्यालय ज्ञापन संख्या 4/6/2017- स्थापना (वेतन-II) दिनांक 18.01.2019 के अनुसार इस कार्यालय के निम्नलिखित कर्मचारी को उनके नाम के सामने दर्शाई गए विवरणानुसार नकदी संभालने एवं निधि भत्ते की मंजूरी प्रदान की जाती है:-

As per Govt. of India, Deptt. of Science & Technology, New Delhi's letter No.14/3178-SMP-I dated 28.03.1978 and Ministry of Personnel, Public Grievances and Pension (Department of Personnel & Training) OM No. 4/6/2008-Establishment (Pay-II) dated 01.10.2008 and OM No. 4/6/2017-Establishment (Pay-II) dated 18.01.2019, cash handling and treasury allowance is hereby granted to the under-mentioned employee of this office as per details shown against his name:-

क्रम सं. Sl. No.	नाम व पदनाम Name & Designation	अवधि Period	नकदी संभालने एवं निधि भत्ते की राशि Amount of cash handling and treasury allowance
1	2	3	4
1	श्री रविकांत कुमार, प्रवर श्रेणी लिपिक	10.12.2024 से 09.12.2026	रु.875/- प्रति माह

उपरोक्त कर्मचारी को जब तक कि उसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा छूट नहीं दी जाती है, समय-समय पर यथा-संशोधित सामान्य वित्तीय नियमावली, 2017 के अध्याय 12 में नियम 306 (1) से नियम 306 (4) में निहित प्रावधानों के अनुसार प्रतिभूति धनराशि जमा करनी होगी ।

The above employee should furnish Security in accordance with the provisions contained in Rule 306(1) to 306(4) in chapter 12 of the GFR, 2017 as amended from time to time unless he is exempted by the Competent Authority.

इस पर होने वाला अतिरिक्त व्यय इस कार्यालय के लिए वर्ष 2025-26 के लिए स्वीकृत बजट अनुदान से पूरा किया जाएगा और उपयुक्त लेखा-शीर्ष के नामे किया जाएगा ।

The additional expenditure incurred will be met from the budget grant approved for the year 2025-26 for this office and will be debited to the appropriate head of account.

(उदय शंकर प्रसाद)

निदेशक

वितरण/ Distribution :-

1. भारत के महासर्वेक्षक, देहरादून को सूचनार्थ ।
The Surveyor General of India, Dehradun for information, please.
2. सर्वे ऑफ इंडिया वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु एक प्रति ।
Admin, Sol website, Dehradun for upload on departmental website, please.
3. अपर महासर्वेक्षक, पूर्वी क्षेत्र, कोलकाता को सूचनार्थ ।
The ASG, Eastern Zone, Kolkata for information, please.
4. वरिष्ठ लेखा अधिकारी, क्षेत्रीय वेतन एवं लेखा कार्यालय, कोलकाता ।
The Sr. Accounts Officer, RP&AO, Kolkata for information, please.
5. प्रभारी, लिपिकवर्गीय अनुभाग को सूचना एवं संबन्धित कर्मचारी की सेवापुस्तिका में प्रविष्टि हेतु ।
In-Charge, Ministerial Section for inf & entry in the individual's Service Book.